अध्याय - IV

वाहनों पर कर

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 उसके अंतर्गत निर्मित नियमों (झारखण्ड मोटर वाहन (झा.मो.वा.) करारोपण नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावलियां (झारखण्ड सरकार द्वारा यथाअंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड उत्तरदायी है। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों[1] एवं 22 परिवहन जिलों[2] में बाँटा गया है, जिसे राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनकी सहायता मोटर यान निरीक्षक, प्रवर्त्तन शाखा और नौ चेक पोस्ट[3] द्वारा की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 27 इकाइयों में से ₹ 303.19 करोड़ राजस्व संग्रहण वाले 19 इकाइयों का 'वाहनों पर कर' से संबंधित अभिलेखों के हमारे द्वारा नमूना जाँच ने 15,272 मामलों में ₹ 40.84 करोड़ सन्निहित राशि के कर का अनारोपण/ अल्पारोपण, बैठान क्षमता/पंजीकृत लदान भार के गलत निर्धारण के कारण करों का कम आरोपण, ट्रेलरों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना आदि उद्घाटित किया जैसा कि **तालिका- 4.2** में है।

---

1 दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

2 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ तथा सिमडेगा।

3 बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुण्डा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा) और मुरीसेमर (गढ़वा)।

तालिका - 4.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्गीकरण**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1	**"वाहन सॉफ्टवेयर में खामियाँ"**	1	2.64
2	करों का अनारोपण/अल्पारोपण	1,970	12.55
3	बैठान क्षमता/पंजीकृत लदान भार के गलत निर्धारण के कारण करों का अल्पारोपण	160	1.98
4	ट्रेलरों से करों का उद्ग्रहण नहीं होना	1,988	2.65
5	अन्य मामले	11,153	21.02
कुल		**15,272**	**40.84**

वर्ष के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा 2013-14 में बताये गये 14,068 मामलों में सन्निहित ₹ 40.39 करोड़ के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना इत्यादि में अनारोपण/अल्पारोपण को स्वीकार किया। विभाग ने 371 मामलों में ₹ 1.13 करोड़ की वसूली की।

इस अध्याय में हम ₹ 33.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले, **"वाहन सॉफ्टवेयर में खामियाँ"** पर एक कंडिका सहित, दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं। अनुवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गयी है।

4.3 अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन/अनुपालन नहीं होना

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) और उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है:

(i) वाहन स्वामियों द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मोटर वाहन कर का भुगतान;
(ii) संगृहीत राजस्व को सरकारी खाते में समय पर जमा करना;
(iii) विनिर्दिष्ट दर से निबंधन शुल्क का भुगतान;
(iv) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्राधिकार का निर्गमन एवं नवीकरण ; और
(v) चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन एवं नवीकरण।

हमने पाया कि परिवहन विभाग ने अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित मामलों में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

4.4 वाहन सॉफ्टवेयर में कमियाँ

केन्द्र सरकार के अधीन एक शीर्ष संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग (एमओआरटी एण्ड एच) मंत्रालय ने केंद्र और राज्य के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से 2001 में एक राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क के सृजन के लिए एक योजना लागू किया। जिला परिवहन कार्यालयों में वाहनों के पंजीकरण और कर के भुगतान हेतु एनआईसी द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। झारखण्ड सरकार ने सितंबर 2004 में वाहन अप्लीकेशन का सूत्रपात किया।

4.4.1 बकाया का समाशोधन किये बिना वर्तमान कर की स्वीकृति

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, कर का भुगतान उसी कराधान पदाधिकारी को किया जाना है जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन निबंधित है। समय पर करों का भुगतान नहीं किया जाना झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(2) के अंतर्गत विलम्ब की अवधि पर विहित दरों से अर्थदंड आकृष्ट करता है। उक्त अधिनियम की धारा 12 में तदंतर प्रावधान है, कि कराधान पदाधिकारी चालू अवधि के लिये कर या अर्थदंड स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि बकाये करों और अर्थदंड का पूरी तरह से भुगतान या समाशोधन नहीं किया गया हो।

हमने आठ चयनित जिला परिवहन कार्यालयों[4] के 2008-09 और 2012-13 की अवधि के बीच के 'वाहन' के डाटाबेस का विश्लेषण किया जिससे पता चला कि 8,59,874 मामलों में (ओरेकल डंप फाइल) से 8,053 में कर के भुगतान की अवधि में रूकावट थी। हमने कराधान पंजियों की जाँच की (अप्रैल और मई 2014) और

[4] चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम), डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला और लोहरदगा।

पाया कि 3,406 मामलों में हस्तचालित भुगतान किया गया और शेष 4,647 मामलों में कर के भुगतान की अवधि में 3 से 179 महीनों तक का अंतराल था। ये कार्यालय कर अंतराल हेतु कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरुप ₹ 2.30 करोड़ की कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। हमने ध्यान दिया कि हस्तचालित भुगतान को बैंक चालान नंबर और तिथि का इंद्राज कर सिस्टम में अद्यतन किया जा सकता है। लेकिन हस्तचालित भुगतान को चिन्हित करने हेतु या जब करों व अर्थदंड का बकाया देय हो तब उत्तरवर्ती अवधि के भुगतान या संव्यवहार को अवरुद्ध करने हेतु अप्लीकेशन उपयुक्त रुप से अभिकल्पित नहीं किया गया।

मामलों को हमारे द्वारा अप्रैल और मई 2014 के बीच इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अगस्त 2014) किया और कहा कि जि.प.प., चाईबासा द्वारा बकायों के उद्ग्रहण के लिए मांगपत्र निर्गत कर दिया गया है और शेष ज़ि.प.प. को मांगपत्र निर्गत करने तथा नीलामपत्र वाद दायर करने के लिये निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

4.4.2 कर स्थिति के अनियमित समाशोधन के कारण राजस्व का आरोपण न होना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, कर का भुगतान उसी कराधान पदाधिकारी को किया जाना है जिनके अधिकार क्षेत्र में वाहन निबंधित है। झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 7 के अंतर्गत निवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामले में, वाहन स्वामी पूर्ववर्ती करारोपण पदाधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" (अ.प्र.प.) प्रस्तुत करने की शर्त पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। मोटर वाहन कर तिमाही या वर्ष प्रारम्भ होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर, जैसा मामला हो, भुगतेय है। झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(2) के अंतर्गत समय पर कर का भुगतान नहीं किया जाना विलम्ब की अवधि के अनुसार विहित दरों पर अर्थदंड आकृष्ट करता है।

हमने आठ चयनित जिला परिवहन कार्यालयों के 'वाहन' के 2008-09 और 2012-13 की अवधि के डाटाबेस का विश्लेषण किया जिससे पता चला कि 7,71,950 वाहनों (ओरेकल डंप फाइल) में से 751 निबंधित वाहनों के मामलों में, **क्लियर_टू_डेट** (तिथि जब तक कर दायित्व का समायोजन कर लिया गया) फील्ड में किया गया इंद्राज **टैक्स_अपटू_डेट** (तिथि जब तक कर का भुगतान कर दिया गया है) फील्ड के इंद्राज के बाद की तिथि थी। इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में कर के वास्तविक भुगतान की अवधि से अधिक के लिए समाशोधन स्वीकृत किया गया। हमने कराधान पंजियों की जाँच की (अप्रैल एवं मई 2014) और पाया कि 459 मामलों में हस्तचालित भुगतान किया गया और शेष 292 मामलों में कर वैधता का अनियमित विस्तारित समाशोधन 1 से 57 तिमाहियों तक था। कर वैधता के अनियमित विस्तारित समाशोधन हेतु

कार्यालय कोई समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कार्यालयों में संधारित हस्तचालित अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि कर के अनियमित समाशोधन का कारण सिस्टम में हस्तचालित प्रविष्टि था क्योंकि सॉफ्टवेयर में समाशोधन तिथि के ऑटो जेनरेशन की सुविधा नहीं थी। संबंधित फील्ड में प्रविष्टि को स्वतः ला पाने संबंधी अप्लीकेशन की कमियों के परिणामस्वरूप पथ कर एवं अतिरिक्त पथ कर के रूप में राजस्व की राशि ₹ 34.14 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

मामलों को अप्रैल और मई 2014 के बीच हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि अधिक समाशोधन अवधि का कारण कर स्थिति का हस्तचालित समाशोधन था और अनियमितता के सुधार के लिए संबंधित जि.प.प. को आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं। हमारे अवलोकन पर, सरकार ने ऐसी अनियमितताओं के कारणों की जाँच करने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया था (अगस्त 2014)। विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि अप्रैल 2014 में वाहन-2 सॉफ्टवेयर को परिवहन कार्यालयों में अधिष्ठापित कर दिया गया था जिसमें स्वतः समाशोधन का प्रावधान है।

4.5 वाहनों पर करों का संग्रहण नहीं किया जाना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं 9 तथा झा.मो.वा.क. नियमावली 2001 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निबंधित वाहन का स्वामी (वैयक्तिक वाहनों से भिन्न) करारोपण पदाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है को जिस अवधि के लिये कर का भुगतान किया जा चुका था, उसकी समाप्ति के पश्चात कर भुगतान करने का उत्तरदायी है। निवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामलों में पूर्ववर्ती करारोपण पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (अ.प्र.प.) प्रस्तुत करने की शर्त पर वाहन स्वामी नये करारोपण प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। निर्धारित अवधि में कर का भुगतान नहीं करने के मामले में, करारोपण प्राधिकारी निर्धारित दरों से अर्थदण्ड लगा सकते है। यदि कर के भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक है, तो देय करों की राशि का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। अग्रेतर, नियमावली प्रावधान करता है, कि प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग, वसूली और बकाया (माँ.व.क.) पंजी संधारित करना है, जिसे करों के नियमित और समय पर उद्ग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन करना है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत करना है।

4.5.1 हमने मई 2013 और मार्च 2014 के बीच 16 जिला परिवहन कार्यालयों[5] के करारोपण पंजी, माँ.व.ब. पंजी, अभ्यर्पण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 17,061 वाहनों में से 2,354 वाहनों के

[5] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, राँची और सिमडेगा।

स्वामियों ने अगस्त 2010 एवं मार्च 2014 के मध्य कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामलों में स्वामियों के पते में परिवर्तन या करों के भुगतान में छूट हेतु, दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस तरह वे कर भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने माँ.व.ब. पंजी को आवधिक अद्यतन नहीं किया, उनके पास प्रमादी वाहन स्वामियों की संख्या एवं उनसे उद्गृहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी प्रमादी वाहन स्वामियों के विरूद्ध कर एवं अर्थदण्ड का माँग सृजित नहीं किया, इसके परिणामस्वरूप, ₹ 10.47 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 15.71 करोड़ कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा (मई 2013 एवं मार्च 2014 के बीच) बताये जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि संबंधित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और आठ जि.प.प.[6] द्वारा 111 मामलों में सन्निहित ₹ 68.99 लाख की वसूली कर ली गयी है। जि.प.प को प्रमादियों के विरूद्ध नीलामपत्रवाद दायर करने के लिये निर्देश दिये गये हैं। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

4.5.2 हमने मई 2013 एवं मार्च 2014 के बीच 16 जिला परिवहन कार्यालयों[7] में 8,617 ट्रेलरों के करारोपण पंजी और कम्प्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच में पाया कि 8,617 ट्रेलरों में से 2,514 ट्रेलरों के स्वामियों ने अगस्त 2010 एवं मार्च 2014 के बीच की अवधि हेतु पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने माँ.व.ब. पंजी को अद्यतन नहीं किया इस कारण उनके पास प्रमादी वाहन स्वामियों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। विभाग प्रमादियों पर माँग सृजित करने में विफल रहा। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.03 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.04 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा इंगित करने के बाद (मई 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) सरकार ने (अगस्त 2014) कहा कि संबंधित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और नौ जि.प.प.[8] द्वारा 84 मामलों में ₹ 9.16 लाख की राशि की वसूली की गई है। जि.प.प. को प्रमादियों के विरूद्ध नीलामपत्रवाद दायर करने के लिये निर्देश दिया गया है। विभाग ने अग्रेतर कहा कि ट्रेलरों के एकमुश्त कर के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा था और माँग पत्र के स्वत: जनन हेतु प्रणाली तैयार की जा रही थी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

---

[6] बोकारो, चाईबासा, चतरा, गुमला, जमशेदपुर कोडरमा, लोहरदगा और राँची।

[7] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, राँची और सिमडेगा।

[8] बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गुमला, जमशेदपुर, कोडरमा, लोहरदगा और राँची।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार माँ.व.ब. पंजी को आवधिक अद्यतन करने के संबंध में, निर्धारित नियमावलियों के पालन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

4.6 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को विलंब से जमा करने के कारण भुगतेय ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी देय के रूप में प्राप्त सभी राशियों को सरकारी लेखे में जमा करना चाहिए। राज्य परिवहन आयुक्त झारखण्ड के अनुदेशों के अनुसार (जनवरी 2001) अप्रैल से फरवरी के दौरान बैंकों द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) डोरण्डा शाखा, राँची में इस प्रकार अंतरित करना चाहिए कि एक निश्चित माह की सभी प्राप्तियां अगले माह के प्रथम सप्ताह में अंतरित हो जाय। मार्च महीने में जमा की गई राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से अंतरित करनी है ताकि वित्तीय वर्ष में जमा सभी राशियां उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में अंतरित हो जाय। भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक लाख से अधिक शेष पर बैंकों द्वारा विलंब से सरकारी लेखा में प्रेषण करने पर बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से दाण्डिक ब्याज भुगतेय है।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, हजारीबाग एवं बारह जिला परिवहन कार्यालयों[9] में मई 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी के नमूना जाँच में पाया कि संग्राहक बैंक यथा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लिए ₹ 982.59 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में क्रेडिट हेतु भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा, शाखा, राँची में क्रेडिट नहीं किया। विलंब एक महीने से 24 महीने के बीच थी। संग्राहक बैंकों ने एस.बी.आई., डोरण्डा राँची में सरकारी राजस्व को विलंब से अंतरण हेतु ₹ 9.20 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया। यह दर्शाता है कि विभाग ने मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं ब्याज के भुगतान के विषय को भी संग्राहक बैंक के साथ प्रभावी रूप से नहीं उठाया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान परिवहन आयुक्त ने कहा (अगस्त 2014) कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के माध्यम से भा.रि.बैं. के साथ पत्राचार का प्रस्ताव रखा जायेगा। तथापि, बैंक अब राजस्व का अंतरण कर रहे हैं और माह के अंत में अवशेष शून्य रख रहे हैं।

[9] बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, राँची और सिमडेगा।

4.7 वैयक्तिक वाहनों पर एक मुश्त कर का आरोपण नहीं होना

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) के प्रावधानों के अंतर्गत मोटर कार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन जिनकी बैठान क्षमता चालक सहित चार से अधिक किन्तु दस से अधिक न हो, जो सिर्फ व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वैयक्तिक वाहन की श्रेणी में लाया गया। अधिनियम के स्थानापन्न अनुसूची I भाग (ए) के अनुसार एक मुश्त कर की संशोधित दर वाहन की बैठान क्षमता एवं आयु पर आधारित वाहन के मूल्य पर आरोप्य था। तदंतर, झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 की धारा 7(1) में एक मुश्त कर के विलंब से भुगतान करने पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का प्रावधान था। संशोधन के पूर्व (22 मई 2011 तक) धारा 7(3), के अंतर्गत 5 से 10 सीटों के बैठान क्षमता वाले वाहनों पर कर वार्षिक दर से आरोप्य था एवं कर के नहीं/विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड भी आरोप्य था। तदंतर, झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के अनुसार प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग, वसूली एवं बकाया (माँ.व.ब.) पंजी का संधारण करना है जिसे करों के नियमित और समय पर उद्ग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन किया जायेगा।

हमने मई 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य 16 जिला परिवहन कार्यालयों[10] में करारोपण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़े की नमूना जाँच से पाया कि विभाग द्वारा 5 से 10 बैठान क्षमता वाले 5,733 निजी वाहनों में से 1,081 के मामले में, जिनकी कर वैधता अगस्त 2008 और जनवरी 2014 के बीच समाप्त हो गई थी, मई 2011 से ₹ 56.93 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.21 करोड़ की एकमुश्त पथ कर का आरोपण नहीं किया गया क्योंकि जि.प.प. ने माँग, वसूली एवं बकाया पंजियों की आवधिक समीक्षा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 22 मई 2011 तक ₹ 2.09 लाख अर्थदंड सहित ₹ 3.13 लाख का कर भी आरोप्य था।

मामलों को (मई 2013 और मार्च 2014 के बीच) हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि संबंधित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और आठ जि.प.प.[11] द्वारा 162 मामलों में ₹ 33.15 लाख के राशि की वसूली की गई है। जि.प.प. को प्रमादियों के विरूद्ध नीलामपत्रवाद दायर करने के लिये निर्देश दिये गये हैं। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

4.8 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार का नवीकरण नहीं होना

मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 की धारा 81 एवं केंद्रीय मोटर वाहन (कें.मो.वा.) नियमावली 1989 के नियम 87 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी या

[10] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, राँची और सिमडेगा।

[11] बोकारो, चाईबासा, चतरा, धनबाद, गुमला, जमशेदपुर, कोडरमा और राँची।

विशेष परमिट से भिन्न एक परमिट पाँच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा और एक प्राधिकृति की वैधता की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह प्राधिकार एक सतत प्रक्रिया है जब तक कि परमिट कालातीत न हो गया हो या परमिटधारक द्वारा अभ्यर्पित न कर दिया जाय। तदन्तर, राष्ट्रीय परमिट धारक वाहन के स्वामी को देश भर में संचालन करने के लिए प्रतिवर्ष समेकित शुल्क के साथ प्राधिकृति शुल्क का भुगतान करना है।

हमने जनवरी 2014 में परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय परमिट पंजी की जाँच में पाया कि 14,106 मामलों में से 241 में जून 2012 और मार्च 2013 के बीच परमिटों की आवधिकता के दौरान राष्ट्रीय परमिट हेतु अनुवर्ती प्राधिकृति का नवीकरण नहीं किया गया। हमने यह भी देखा कि परमिटों के प्रचलन के ही दौरान अनुवर्ती प्राधिकृति के अनुश्रवण हेतु परिवहन आयुक्त के कार्यालय में तंत्र का अभाव था। इसके परिणामस्वरुप ₹ 42.18 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकृति शुल्क (समेकित शुल्क ₹ 39.77 लाख और प्राधिकृति शुल्क ₹ 2.41 लाख) की वसूली नहीं हुई।

मामलों को हमारे द्वारा बताये जाने के बाद (जनवरी 2014), विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि बकायों की वसूली के लिये संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को माँग पत्र निर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 4.11 में इंगित किया गया जहाँ सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2013) कि वाहन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में की गयी तदंतर कार्रवाई अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

4.9 निबंधन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना

के.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 16 एवं 48 के प्रावधानों के अन्तर्गत निबंधन/लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस प्रपत्र 6 में जारी करेगा और जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास स्मार्ट कार्डरूपी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु आवश्यक तंत्र है, इसे स्मार्ट कार्ड (प्रपत्र 7) में जारी किया जायेगा तथा मोटर वाहनों के स्वामी को निबंधन प्रमाणपत्र प्रपत्र 23 या 23ए (स्मार्ट कार्ड) में निर्गत किया जायेगा। तदंतर, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 का नियम 81 प्रावधान करता है कि मई 2002 से निबंधन प्रमाणपत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में निर्गत करने के लिए शुल्क के रूप में दो सौ रूपये की अतिरिक्त राशि देय होगा। झारखण्ड सरकार ने मेसर्स ए.के.एस. स्मार्ट कार्ड लिमिटेड के साथ अक्टूबर 2004 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और फर्म को स्मार्ट कार्ड में वाहन निबंधन

प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए ₹ 99 तथा ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने के लिए ₹ 49 के सेवा शुल्क की वसूली की अनुमति दी। स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र/ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने की शुरूआत मोटर वाहनों के संबंध में नकली एवं जाली कागजातों का उपयोग रोकने के लिए किया गया। तदंतर यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त सेवा शुल्क नियमावलियों के अंतर्गत आरोप्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

हमने अगस्त एवं अक्टूबर 2013 के बीच चार जिला परिवहन कार्यालयों[12] के 2011-12 एवं 2012-13 की अवधि के निबंधन पंजी एवं ड्राइविंग लाइसेंस पंजी के नमूना जाँच में पाया कि 17,853 निबंधन प्रमाण पत्र एवं 1,934 ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किये गये यद्यपि **वाहन/सारथी** पैकेज कार्यालयों में अधिष्ठापित था। इस प्रकार जिस उद्देश्य हेतु पैकेज को लागू किया गया पूरा नहीं हुआ। तदंतर यह देखा गया कि समझौते की शर्त्तों के अनुसार चतरा और गढ़वा जिले में स्मार्ट कार्ड के निर्गमन हेतु हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अधिष्ठापन समझौते की तिथि (अक्टूबर 2004) से क्रमश: 14 एवं 15 सप्ताह के अन्दर पूरा किया जाना था। इस प्रकार स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के कार्यान्वयन में सरकार की ओर से चूक ने उसे ₹ 38.80 लाख के राजस्व से वंचित किया।

मामले को हमारे द्वारा (अगस्त 2013 एवं अक्तूबर 2013 के बीच) बताये जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि मेसर्स ए.के.एस. कंपनी (एमिटी) के साथ 2004 में किया गया समझौता व्यपगत हो चुका है और पुनर्निविदा प्रक्रियाधीन है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका सं. 4.14 में इंगित किया गया जिसपर सरकार का मत पूर्वोक्तानुसार था (जुलाई 2013)। एक वर्ष की समयावधि के बाद भी स्मार्टकार्ड जारी करने की सेवाओं के लिये पुनर्निविदा संपन्न न किया जाना राजस्व के क्षरण की रोकथाम के लिए सरकार की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.10 बैठान क्षमता का गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) के प्रावधानों के अंतर्गत परिवहन वाहन के स्वामियों को व्हीलबेस के आधार पर निर्धारित बैठान क्षमता पर करों का भुगतान करना है। यह प्रावधान 23 मई 2011 से प्रभावी था। तदंतर, अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक परिवहन वाहन के स्वामी को पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान उसमें उल्लिखित दरों से करना है।

[12] चतरा, गढ़वा, लातेहार एवं सिमडेगा।

हमने मई 2013 और मार्च 2014 के बीच 12 जिला परिवहन कार्यालयों[13] के कम्प्यूटरीकृत डाटा के सत्यापन सहित निबंधन/कर पंजी के नमूना जाँच में पाया कि 1,539 परिवहन वाहनों में से 181 वाहनों ने मई 2011 से 2013-14 की अवधि के लिए उनके व्हीलबेस के अनुसार निर्धारित बैठान क्षमता से कम बैठान क्षमता अपनाकर करों का भुगतान किया। इसने इंगित किया कि जि.प.प. ने परिवहन वाहनों से कर की वसूली के दौरान अधिनियम के नये प्रावधान को लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.21 लाख राशि के करों की कम वसूली हुई।

मामले को हमारे (मई 2013 एवं मार्च 2014 के बीच) बताये जाने पर विभाग ने कहा कि (अगस्त 2014) कि संबंधित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और जि.प.प. धनबाद द्वारा नौ मामलों में ₹ 0.44 लाख की राशि की वसूली कर ली गयी है। जि.प.प. को प्रमादियों के विरूद्ध नीलामपत्रवाद दायर करने के लिये निर्देश दिये गये हैं। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 4.15 में इंगित किया गया जहाँ सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2013) कि सन्निहित राशि की वसूली के लिये सभी जि.प.प. को निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में तदंतर कार्रवाई अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

4.11 वाहनों का स्वामित्व लेने की तिथि से कर आरोपण नहीं होना

झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4(1) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे मामलों में जहाँ पूर्व में कर का कोई भुगतान नहीं किया गया हो, वहाँ वाहन की प्राप्ति की तिथि या विधि द्वारा ऐसा कर आरोपित किये जाने की तिथि, कर भुगतान हेतु देय तिथि होगी। तदंतर, के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 42 एवं 47 प्रावधान करता है कि व्यापार प्रमाणपत्र का धारक किसी भी क्रेता को स्थायी या अस्थायी निबंधन के बिना मोटर वाहन की सुपुर्दगी नहीं करेगा एवं वाहन को सुपुर्द लेने के सात दिनों के अंदर निबंधन हेतु आवेदन करना है। समय पर करों का भुगतान नहीं किया जाना विलंब की अवधि पर निर्धारित दरों पर अर्थदंड आकृष्ट करता है जिसकी सीमा देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक है।

हमने मई 2013 से जनवरी 2014 के बीच चार जिला परिवहन कार्यालयों[14] के करारोपण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि 448 वाहनों में से 41 वाहनों के स्वामियों ने अपने वाहनों को 78 से 1,449 दिनों के विलंब से अपने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन किया। निबंधन प्राधिकारी ने वाहन के स्वामित्व लेने की तिथि के बजाय निबंधन की तिथि से कर का आरोपण किया। हमने पाया कि लेखापरीक्षा की तिथि तक (मई 2013 और जनवरी 2014 के बीच) न तो वाहनों

[13] बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, पलामू, राँची और सिमडेगा।

[14] बोकारो, गुमला, लोहरदगा एवं पलामू।

के स्वामियों ने कर का भुगतान किया और न ही निबंधन प्राधिकारी ने प्रमादी वाहनों पर वाहनों को अधिकार में लेने की तिथि से निबंधन की तिथि तक के मध्यवर्ती अवधि हेतु कर एवं अर्थदण्ड आरोपित किया। इस तरह, नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.02 लाख के अर्थदण्ड सहित कुल ₹ 10.54 लाख की राशि के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा (मई 2013 और जनवरी 2014 के मध्य) बताये जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि सम्बन्धित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत कर दिये गये हैं और जि.प.प, धनबाद द्वारा 5 मामले में ₹ 0.93 लाख की वसूली कर ली गयी है। जि.प.प. को प्रमादियों के विरुद्ध नीलामपत्रवाद दायर करने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग ने तदंतर कहा कि इस अनियमितता को रोकने के लिये डीलर प्वाइंट निबंधन प्रणाली आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 4.12 में इंगित किया गया। सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2013) कि जि.प.प. बोकारो और धनबाद में ₹ 24.55 लाख सन्निहित 77 मामलो में माँग पत्र निर्गत किये गये थे। अन्य जि.प.प. के संबंध में, सरकार ने राशि की वसूली के लिये निर्देश जारी किया। तथापि, इस तरह की चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी कायम है।

4.12 व्यापार कर का उद्ग्रहण नहीं होना

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्माता/व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के क्रम में उसके द्वारा अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों पर अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वार्षिक दर पर व्यापार कर का भुगतान किया जायेगा। व्यापार कर (वाहन के प्रकार पर आधारित) सात वाहनों के एक ब्लॉक पर भुगतेय है, जिसके लिए विनिर्माता/व्यवसायी द्वारा प्रपत्र बी-2 में विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। करारोपण प्राधिकारी व्यापार कर की राशि सत्यापित करने के उपरान्त व्यापार प्रमाणपत्र का नवीकरण करता है। नियत अवधि के अंदर कर का भुगतान नहीं किये जाने पर करारोपण प्राधिकारी विलंब की अवधि पर परिगणित देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक के निर्धारित दर से अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने दो जिला परिवहन कार्यालयों, धनबाद और राँची में जुलाई एवं नवम्बर 2013 के बीच व्यापार कर पंजी तथा संचिका के नमूना जाँच के क्रम में पाया कि मोटर वाहन के 91 व्यवसायियों में से 3 व्यवसायी अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि के लिये ₹ 8.44 लाख का अर्थदण्ड सहित व्यापार कर भुगतान के उत्तरदायी थे। तथापि, दो व्यवसायियों द्वारा ₹ 3.20 लाख की राशि का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.69 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 5.24 लाख के व्यापार कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान नहीं हुआ।

मामलों को हमारे द्वारा (जुलाई एवं नवम्बर 2013 के मध्य) इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि बकाये के उद्ग्रहण के लिये संबंधित जि.प.प. द्वारा माँग पत्र निर्गत किये गये हैं। विभाग ने तदंतर कहा कि इस अनियमितता को रोकने के लिये डीलर प्वाइंट निबंधन प्रणाली आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका सं. 4.13 में इंगित किया गया, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2013) कि पाँच व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 5.13 लाख का माँग सृजित किया गया था तथा 3 मामलों में ₹ 51,800 की वसूली हो चुकी थी। चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी कायम है, जो कि राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.13 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने हमें सूचित किया कि उसकी अपनी कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है, आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वित्त विभाग के लेखापरीक्षकों के द्वारा किया जा रहा था। विभाग ने 2013-14 के दौरान वित्त विभाग द्वारा किये गये लेखापरीक्षा की संपूर्ण जानकारी नहीं दी।

सरकार राजस्व के त्वरित एवं सही उद्ग्रहण के लिये, अधिनियमों/नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने पर विचार कर सकती है।